न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 07/2019

1. सज्जन कुमार पुत्र रामचन्द जाति बिश्नोई निवासी चक 9एफ ए माझीवाला तहसील श्री करणपुर।

--वादी--

बनाम

1. मदनगोपाल पुत्र रामचन्द जाति बिश्नोई निवासी चक 9एफ ए माझीवाला तहसील श्री करणपुर।
2. पंजाब एंव सिन्ध बैंक शाखा श्री करणपुर जरिए शाखा प्रबन्धक पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक श्री करणपुर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर।

--प्रतिवादीगण--

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 आरटीए

--निर्णय--

दिनांक : 17/7/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 2एफ बी की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 46/43,57 के मु0 न0 15,30 कुल 3.618 है. नहरी भूमि बहिस्सा बराबर वादी व प्रतिवादीगण के नाम साझा खाता में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी को विरास्तन प्राप्त हुई है। जो सयुक्त खाता की पैतृक भूमि है। इस भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। यद्यपि काश्त की सुविधा की दृष्टि से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने इस भूमि का आज से 6 माह पूर्व वाहमी तौर पर बंटवारा कर रखा है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपनी कृषि सम्बन्धी जरूरत के लिए इस भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 से केसीसी प्राप्त की हुई है इसलिए उसे पक्षकार बनाया गया है। वादी अपने हिस्सा की भूमि पर उठाये गये ऋण का नियमित भुगतान प्रतिवादी बैक को करता आ रहा है। जबकि प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा आहरित ऋण की अदायगी प्रतिवादी संख्या 2 को नही की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप, उक्त भूमि जो कि साझा खाता की भूमि होने के कारण ऋण अदायगी बाबत नोटिस प्रतिवादी सख्या 2 द्वारा मुझ वादी को भी भेजे जा रहे है, जबकि वादी नियमित रूप से अदायगी कर रहा है। वादगत भूमि साझा खाता की होने के कारण भूमि के कृषि सम्बन्धी कार्यो में प्रायः असुविधा का सामना करना पडता है। इसलिए खाता विभाजन करवाया जाना आवश्यक है। साझा खाता होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 की बकाया अदायगी के लिए यदि बैक द्वारा वसूली कार्यवाही की जाती है, तो वादी को अपने हक एवं हिस्सा की भूमि से वंचित होना पडेगा। इस सम्बन्ध में वादी के द्वारा प्रतिवादी को खाता विभाजन हेतु कई बार कहा तो उसने इन्कार कर दिया और कहा कि बैंक शीघ्र ही समस्त भूमि को कुर्क कर वसूली सम्बन्धी कार्य करेगा यही वाद कारण है। यदि बैक के द्वारा वसूली कार्यवाही की जाती है तो वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए वादी अपने 1/2 हिस्से की भूमि तक स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस भूमि के 6 वर्ष पूर्व हुए घरेलु बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी को निम्नानुसार भूमि प्राप्त हुई है:-

बंटवारा के अनुसार वादी को चक 2 एफबी के खाता संख्या 46/43,57 के मु.न. 15 के किला न. 1,10,11,20,21,22, किला न. 19 में 5 बिस्वा, मु.न. 30 के किला न. 16 में 0.228 हैक्ट. भूमि ।

प्रतिवादी संख्या 1 को मु.न. 15 के किला न. 2,9,12,18,23 सालम-सालम, किला न. 19 के 15 बिस्वा, किला न. 13 के 10 बिस्वा, व मु.न. 30 के किला न. 15 के 0.228 हैक्ट. ।

वादी के द्वारा अपने हिस्से की भूमि को मेहनत करके सुधारा गया है इसलिए वादी खाता का किलावाईज विभाजन वाहमी तौर पर हुए विभाजन के अनुसार करवाने का अधिकारी है। उक्त आराजी राजस्थान सरकार मे निहित हो चुकी है इसलिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को बतौर लैण्ड होल्डर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

दावा मे पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर,अन्दर मियाद पेश है। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अतः दावा निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे:-

चक 2 एफबी की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 46/43,57 के मु.न. 15 व 30 की कुल 3.618 हैक्ट. नहरी भूमि में वादी पत्र में अंकित अनुसार किलावाईज विभाजन की डिक्री जारी कर अलग से खाता व लगान कायम किया जावे। एवं इस खाता मे वादी के हिस्सा तक की भूमि बाबत स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। एवं अन्य कोई अनुतोष हो तो वादी को दिलाया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जसकरण गोदारा पेश हुए। व प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सजय गुप्ता पेश हुए।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा उपस्थित आकर राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश किया राजीनामा दोनो पक्षो को पढकर सुनाया गया दोनो पक्षो के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया राजीनामा तस्दीक किया जाकर पत्रावली में सलग्न किया गया।

दोनो पक्षो के अधिवक्तागण के द्वारा उपस्थित आकर निवेदन किया गया कि प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादपत्र डिक्री किया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। इसलिए राजीनामा अनुसार वादपत्र डिक्री किया जावे।

बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया दोनो पक्ष प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादपत्र डिक्री हेतु सहमत है। वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 2एफबी की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 46/43,57 के मु.न. 15 व 30 की कुल 3.618 हैक्ट. नहरी भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किए जाने के आदेश दिए जाते हैं:-

1. सज्जन कुमार पुत्र रामचन्द जाति बिश्नोई निवासी 9 एफ ए का हिस्सा:-

   चक 2एफबी की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के मु.न. 15 के किला न. 1 में 0.240 हैक्ट., किला न.10,11,20,21,23, सालम, किला न. 22 में 0,013 हैक्ट. किला न. 18 में 0.063 हैक्ट. व मु.न. 30 के किला न. 16 के 0.228 हैक्ट. नहरी भूमि कुल 1.809 हैक्ट. नहरी भूमि।

2. मदनगोपाल पुत्र रामचन्द जाति बिश्नोई निवासी 9 एफ ए का हिस्सा:-

   चक 2एफबी की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के मु.न. 15 के किला न. 1 में 0.013 हैक्ट., किला न. 2,9,12,19 सालम-सालम, किला न. 22 में 0.240 हैक्ट. किला न. 18 में 15 बिस्वा, किला न. 13 में 0.126 हैक्ट. व मु.न. 30 के किला न. 15 के 0.228 हैक्ट. नहरी भूमि कुल 1.809 हैक्ट. नहरी भूमि।

राजीनामा अनुसार मु.न. 15 के किला न. 21 में खाल पूर्व से पश्चिम प्रतिवादी संख्या 1 मदनगोपाल वादी सज्जन कुमार से मिला है। मु.न. 15 के किला न. 1 में उतर से दक्षिण किला न. 2 से चिपती हुई भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को 0.013 हैक्ट. प्राप्त हुई व किला न. 22 में पूर्व से पश्चिम 0.013 हैक्ट. नहरी भूमि दक्षिण दिशा की मेड के साथ चिपती हुई वादी सज्जन कुमार को प्राप्त हुई।

उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। रहन बदस्तुर रहेगा। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर पर्चा डिक्री इस आश्य की जारी हो। पर्चा डिक्री की एक-एक प्रति तहसीलदार राजस्व श्री करणपुर को पालनार्थ एवं प्रतिवादी संख्या 2 पंजाब एण्ड सिंध बैक शाखा श्री करणपुर को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17/7/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner